FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला झुन्झुनू

बनाम

1. श्री योगेश कुमार पुरोहित पुत्र सन्त कुमार पुरोहित,मैसर्स शिव मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक, झुन्झुनू निवासी वार्ड नं. 43 बगड़ रोड़ झुन्झुनू, जिला झुन्झुनू।

प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 मुकदमा नम्बर 2/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23–12–2021	यह प्रार्थना पत्र एफ. एस. ए. एक्ट 2006 एवं सपठित नियम 2011 खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री जयसिंह यादव द्वारा पेश करने पर बाद जांच प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। गैर सायल की तलबी जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 18.01.2022 को पेश हो। अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू	
18/1/22	पत्रावली पेश हुई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी उप.। रेस्पोडेन्ट नं.1 स्वयं उपस्थित होकर जबाव पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली मे बहस सुनी गई पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 14-02-2022 को पेश हो।	
14.2.2022	पत्रावली पेश हुई। खादय सुरक्षा अधिकारी व अनावेदक स्वयं उपस्थित। P.O. साहब के दिगर कार्य में व्यस्त होने के कारण निर्णय नही लिखाया जा सका। पत्रावली वास्ते निर्णय दिनांक 17.2.2022 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.03.16 12:54:01 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम
(नियम 26)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
17.02.2022	पत्रावली पेश हुई। आवेदक एवं अनावेदक उपस्थित। मैने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एव नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा (2)(II)(V) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का मेरे द्वारा ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। अनावेदक संख्या/अभियुक्त का कथन है कि अनावदेक बाहर गांव से दूध खरीदकर मावा (खोया) बनाता है। अनावेदक ने किसी प्रकार की कोई मिलावट नही की है। अतः अनावेदक को धारा 26 (2)(II)(V) का दोषी नहीं माना जाये। हस्तगत प्रकरण प्रकरण में खाद्य विश्लेषक राज जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल.एस./935/एक्ट/2021/949 दिनांक 26.08.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ मावा(खोया) सब–स्टैण्डर्ड (Sub-standrad) होना पाया गया है। जो एफ. एस.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा (2) (II) (V) के उल्लंघन में आता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अनावेदक को धारा 26 की उपधारा (2)(5) को दोषी मानकर प्रकरण में अनावेदक श्री योगेश कुमार पुरोहित पुत्र श्री सन्त कुमार पुरोहित, मै0 शिव मिष्ठान भण्डार, गांधी चौक, झुन्झुनू हाल गणेश मन्दिर के पास, झुन्झुनू निवासी वार्ड नम्बर 43, बगड़ रोड़ झुन्झुनू को 2,000/– दो हजार रूपये अर्थदण्ड/– जुर्माने से दण्डित किया जाता है। उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित बजट मद में 15 दिवस में जरिये चालान बैंक में जमा कराकर चालन की एक प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, झुंझुनू को भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Jagdish Prasad Gour Date: 2022.03.16 12:54:01 IST Reason: SelfAttested अति.जिला कलक्टर, झुंझुनू	